

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)


कमांक:एफ.28()परावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./अध्ययन स्वीकृति/2015/ जयपुर,दिनांक:12-02-2020
272

-: आ दे श :-

श्री विश्वनाथ सिद्ध, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति लूणकरणसर, जिला बीकानेर द्वारा स्नातक प्रथम वर्ष 2019-20 में स्वयंपाठी के रूप में बैठने/शामिल होने की अनुमति चाही है।


श्री विश्वनाथ सिद्ध, पंचायत प्रसार अधिकारी को राजस्थान सेवा नियम 110 एवं कार्मिक (क-3/जॉच) विभाग के परिपत्र पं.9(5)(30)कार्मिक/क-3/जॉच/2004 दिनांक 18.11.2006 में दी गई शर्तों के अध्यक्षीन स्वयंपाठी के माध्यम से स्नातक प्रथम वर्ष 2019-20 परीक्षा में बैठने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आज्ञा से,


(अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बीकानेर।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति लूणकरणसर (बीकानेर)।
4. श्री विश्वनाथ सिद्ध, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति लूणकरणसर, जिला बीकानेर।
5. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु
6. आदेश पत्रावली।


अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)